



उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०,  
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ - 226001  
U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.  
14-ASHOK MARG, SHAKTI BHAWAN, LUCKNOW - 226001

सं०: 1661-मा०सं०प्र०-02/जनिलि/2014-48-मा०सं०प्र०-02/2001

दिनांक : 13 नवम्बर, 2014

- फैक्स (1)** मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/II),  
अनपरा/ओबरा/पारीछा/हरदुआगंज/पनकी तापीय विद्युत गृह/पीपीएमएम/तापीय परिचालन,  
उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०,  
अनपरा(सोनभद्र)/ओबरा (सोनभद्र)/पारीछा(झाँसी)/कासिमपुर (अलीगढ़)/पनकी(कानपुर)/लखनऊ।
- (2)** मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा),  
उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०,  
शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

**विषय :-** उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० के समस्त पूर्णकालिक अधिकारी/कर्मचारी, जो दिनांक 01.01.1996 से प्रभावी वेतनमानों में वेतन आहरित कर रहे हैं अथवा जिन्होंने दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना का चयन नहीं किया है को दिनांक 01.01.2014 से बढ़ी हुई दर पर महंगाई भत्ते का भुगतान।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उ०प्र० कारपोरेशन के आदेश सं० 532-का०वि०नि० एवं वे०प्र०-29/पाकालि/14-06 काविनी एवं वे०प्र०/08, दिनांक 15, जुलाई 2014 के अनुरूप एवं निगमादेश संख्या 531-मा०सं०प्र०-02-48-मा०सं०प्र०-02/2001, दिनांक 21 अप्रैल, 2014 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० के ऐसे समस्त पूर्णकालिक नियमित अधिकारी/कर्मचारी, जो किन्हीं कारणोंवश से दिनांक 01.01.1996 से प्रभावी वेतनमानों में वेतन आहरित कर रहे हैं अथवा जिन्होंने दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना का चयन नहीं किया है अथवा जिनके वेतनमान दिनांक 01.01.06 से पुनरीक्षित नहीं हुये हैं, को दिनांक 01 जनवरी, 2014 से निम्नानुसार संशोधित दर पर महंगाई भत्ते का भुगतान अनुमन्य होगा :-

तिथि जब से देय है	महंगाई भत्ते की मासिक दर
01 जनवरी, 2014	मूल वेतन तथा महंगाई वेतन के योग का 200 प्रतिशत

2. इन आदेशों के द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत उत्पादन निगम के आदेश सं०: सचिव/उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०/1154, दिनांक अगस्त 30, 2000 के प्रस्तर 2,7 एवं 8 में उल्लिखित प्राविधान यथावत् लागू रहेंगे।
3. महंगाई भत्ते को एक तरह का विशिष्ट घटक ही माना जायेगा तथा वित्तीय नियम-9(21) के अन्तर्गत वेतन नहीं माना जायेगा।

*Mang Kumar*

कमशः.....2

4. इन आदेशों के द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ता उन कार्मिकों को भी, जो प्रभावी तिथि को सेवारत थे, किन्तु इस आदेश के जारी होने के पूर्व जिनकी सेवायें चाहें जिन कारणों से यथा अनुशासनिक कारणों से या त्यागपत्र, सेवानिवृत्ति, मृत्यु या सेवा मुक्त करने या स्वीकृत पदों की समाप्ति के कारण समाप्त हो गयी हो, सेवा समाप्ति, सेवानिवृत्ति आदि की तिथि तक अनुमन्य होगा।
5. इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते की देय धनराशि को निकटतम एक रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा अर्थात् 50 पैसे और उससे अधिक को अगले उच्चतर रूपये पर पूर्णांकित किया जायेगा और 50 पैसे से कम की राशि को छोड़ दिया जायेगा।
6. इन आदेशों द्वारा स्वीकृत दरों पर महंगाई भत्ते की दिनांक 01 जनवरी, 2014 एवं अग्रतर भुगतान/अवशेषों की देयता की प्रक्रिया निम्नवत् निर्धारित की जायेगी :-

**I-** दिनांक 01 जनवरी, 2014 से दिनांक 31 मार्च, 2014 तक की महंगाई भत्ते की देय अवशेष धनराशि अधिकारी/कर्मचारी के सामान्य भविष्य निधि/अशंदायी भविष्य निधि खाते में, अवशेष धनराशि पर देय आयकर एवं सरचार्ज की कटौती की सुविधा के अधीन जमा की जायेगी, और इस प्रकार जमा धनराशि को सामान्य भविष्य निधि/अशंदायी भविष्य निधि खाते में दिनांक 01 अप्रैल, 2014 से जमा माना जायेगा और इसी तिथि से उक्त धनराशि पर ब्याज भविष्य निधि/अशंदायी भविष्य निधि खाते पर लागू दर से देय होगा, इस प्रकार सामान्य भविष्य निधि/अशंदायी भविष्य निधि खाते में जमा की गई अवशेष धनराशि दिनांक 31 मार्च, 2015 तक संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के खाते में जमा रहेगी और इसे उन मामलों को छोड़कर जिनमें सामान्य/अशंदायी भविष्य निधि नियमों के अंतर्गत अन्तिम प्रत्याहरण (Final Withdrawal) देय हो जाय, उक्त तिथि से पूर्व नहीं निकाला जा सकेगा। इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान दिनांक 01 अप्रैल, 2014 (माह अप्रैल, 2014 का भुगतान दिनांक 01 मई, 2014 को देय) से नकद किया जायेगा।

**II-** यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी भविष्य निधि का सदस्य नहीं है तो उसे उक्त अवशेष धनराशि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एन0एस0सी0) के रूप में दी जायेगी, परन्तु धनराशि के जिस अंश का सर्टिफिकेट उपलब्ध न हो, वह उसे नकद दी जायेगी।


**III-** जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवायें इस निगमादेश के जारी होने की तिथि से पूर्व समाप्त हो गयीं हो अथवा जो अधिकारी/कर्मचारी अधिवर्षता की आयु पर दिनांक 01 जनवरी, 2014 से इस आदेश के निर्गत होने की तिथि तक सेवा निवृत्त हो गये हों अथवा 06 माह के अन्दर सेवानिवृत्त होने वाले हों, उनको देय महंगाई भत्ते के बकाया की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान नकद किया जायेगा।

- 7- निगम के आदेश सं0 सचिव/उनिलि/सी0पी0एफ0ट्रस्ट/952 दिनांक 02.12.2006 के अनुसार बढ़ी हुई महंगाई भत्ते के अवशेषों के भुगतान सम्बन्धी आदेशों के तारतम्य में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 कन्ट्रब्यूटी प्रोविडेण्ट फण्ड ट्रस्ट से आवरित निगमीय कार्मिकों के प्रकरण में यह धनराशि सी0पी0एफ0 खातों में जमा की जायेगी और इस राशि के 10 प्रतिशत समतुल्य नियोक्ता अंशदान के रूप में निगम द्वारा सी0पी0एफ0 मद में दी जायेगी।



- 8- उक्त आदेशों द्वारा स्वीकृत बड़ी हुई महंगाई भत्ते की धनराशि के आहरण हेतु लेखा इकाई द्वारा प्राधिकार पत्र अलग से निर्गत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

भवदीय,


  
(मनोज कुमार सक्सेना) 13/11/14  
उप महाप्रबन्धक(02)

सं: 1661 -(1)-मा0सं0प्र0-02/उनिलि/2014, तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ के निजी सचिव।
- (2) निदेशक(कार्मिक)/(तकनीकी)/(वित्त), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ के निजी सचिव।
- (3) मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ।
- (4) मुख्य अभियन्ता, (मा0सं0)/(ईंधन)/(सुरक्षा एवं पर्यावरण)/(जानपद)/(वाणिज्य)/(आर0एण्डएम0), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ।
- (5) महाप्रबन्धक (लेखा/सम्प्रेक्षा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ।
- (6) कम्पनी सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ।
- (7) अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक, मा0सं0-01/02/03/04/05/06/टाण्डा वाइडिंग एवं संसदीय कार्य, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ
- (8) अधीक्षण अभियन्ता(रिफार्म), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, गोमतीनगर लखनऊ को निगम की वेबसाइट [www.uprvunl.org](http://www.uprvunl.org) पर अपलोड करने हेतु।
- (9) सचिव, विद्युत उत्पादन सेवा आयोग, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ।
- (10) मुख्य प्रबन्धक(वित्त एवं लेखा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ।
- (11) समस्त उप सचिव/अधिशासी अभियन्ता/वरिष्ठ लेखाधिकारी/वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/लेखाधिकारी(वे0 एवं ले0)/पेंशन/अनुसचिव/अनुभाग अधिकारी, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ।
- (12) कट फाइल।

आज्ञा से,

  
(मनोज कुमार सक्सेना) 13/11/14  
उप महाप्रबन्धक(02)